78

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 653–पीबीआर/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–2–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 138/97–98/अपील माल.

लक्ष्मण सिंह पुत्र गया जाटव
निवासी ग्राम पुटटी
परगना डब्रा जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– रामस्वरूप पुत्र लालसिंह
2– भागीरथ उर्फ भोगीराम पुत्र लालसिंह
3– भूपसिंह पुत्र शंकर सिंह
4– धनवंती पुत्री शंकर सिंह ना0बा0
सरपरस्त भाई भूपसिंह पुत्र शंकर सिंह कुशवाह
निवासीगण ग्राम पुटटी
परगना डबरा जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री सी0एम0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 7/3/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–2–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पुट्टी तहसील डबरा जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 325, 326 व 327 को अनावेदक कमांक 3 व 4 द्वारा

पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को विक्रय किया गया । अतः विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 12–5–89 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–10–97 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–2–2006 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के कब्जे में है, और उसका राजस्व अभिलेखों में भी कब्जा दर्ज है, ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 3 व 4 को प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय करने का अधिकार नहीं था किन्तु उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का नामांतरण स्वीकृत करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी उक्त स्थिति पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद प्रचलित होकर आवेदक के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा है, इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है, इसलिए पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का नामांतरण स्वीकृत करने में तहसील न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, और तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधिसंगत कार्यवाही

की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण प्रचलित रखकर येन–केन–प्रकारेण प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जे के आधार पर स्वत्व प्राप्त करना चाहता है, जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विस्तार से राजस्व न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक अकारण मुकदमाबाजी में लिप्त होकर मूल भूमिस्वामी और उससे क्रय करने वाले अनावेदकगण को उनके स्वत्व से वंचित रखना चाहता है । इसी आशय के निष्कर्ष तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले जाकर आदेश पारित किये गये हैं । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–2–2006 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर